



2026: AHC: 42974

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2884/2026

दया शंकर द्विवेदी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: दिनेश राय

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश राय और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि उन्हें 09.08.1982 को कांस्टेबल (आरक्षी) के पद पर नियुक्त किया गया था और वह 30.11.2022 को सेवानिवृत्त हुए, हालांकि, बिना किसी पूर्व सूचना के उनसे वसूली (रिकवरी) करने का प्रयास किया गया है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि रिट याचिकाकर्ता दूसरे प्रतिवादी, पुलिस महानिरीक्षक (आई.जी.पी.), प्रयागराज रेंज, प्रयागराज के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
4. न्यायालय के समक्ष दी गई दलीलों पर विचार करते हुए, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि रिट याचिकाकर्ता 13.03.2026 तक दूसरे प्रतिवादी, पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज रेंज, प्रयागराज के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। तत्पश्चात, दूसरा प्रतिवादी दो महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेगा।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



25 फरवरी, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।